



142



निगरानी - 3176/2018/रीवा/भू.२५
सुरेश कुमार तनय गुरौलिहा प्रजापति निवासी ग्राम नाउनकला तहसील हनुमना जिला रीवा म०प्र०।
.....निगरानीकर्ता

बनाम

1. दयाशंकर तनय गुरौलिहा प्रजापति निवासी ग्राम नाउनकला तहसील हनुमना जिला रीवा म०प्र०
2. मु. कंजी बेवा पत्नी गुरौलिहा प्रजापति निवासी ग्राम नाउनकला तहसील हनुमना जिला रीवा म०प्र०।

.....गैरनिगरानीकर्तागण

श्री. सुरेश कुमार तनय गुरौलिहा प्रजापति कथि
द्वारा आज दि. 24.5.18 को
प्रस्तुत! प्रारम्भिक नुर्क बेवु
दिनांक 28.5.18 मिवत।
कॉर्ट ऑफ कोर्ट 24.5.18
राजस्व मण्डल, न.प्र. न्यायियर

निगरानी विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी तहसील हनुमना के अपील प्रकरण क्रमांक 2ए/27/2017-18 पारित आदेश दिनांक 08/05/2018 के आदेश को निरस्त किये जाने निगरानी अंतर्गत धारा 50 म०प्र० भू०रा०सं० 1959 ई०

②
Dehat di
24/05/18
मान्यवर,

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

जो कि आराजी नबर 1128/2/3 रकवा 0.030 हे०, 1129/2/क/3 रकवा 0.010 हे०, 1217/2 रकवा 0.243 हे०, 1264/3 रकवा 0.214 हे०, 1398/1/3 रकवा 0.028 हे०, 1399/2/3 रकवा 0.151 हे०, 1400/2/3 रकवा 0.117 हे०, व अन्य भूमियो का स्थित भूमि नाउन कला तहसील हनुमना की भूमियो

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3176/2018/रीवा/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05/04/2019	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी हनुमना के प्रकरण क्रमांक 2/अ-27/17-18 में पारित आदेश दिनांक 08.05.2018 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 20.06.2019 को कलेक्टर जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">(बी.एम. शर्मा) सदस्य</p>	

29